


पत्रकारों एवं उद्योगियों के हितों के रक्षण हेतु

167

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म0प्र0,

613  
11.10.13



~~निर्वाचित / विलोपित~~

C.F. 20/-

1. हरिहर प्रसाद तनय स्व0 भोला राम चतुर्वेदी,
2. छोटेलाल चतुर्वेदी तनय स्व0 भोलाराम चतुर्वेदी, R-4256-1113
3. बाबूलाल चतुर्वेदी तनय स्व0 भोलाराम चतुर्वेदी,

सभी निवासी ग्राम चुवाही तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0,

अधिवक्ता श्रीजादीश

निहंटा पल्लुता

रीवा, दि. 11.10.13

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

शेषभान तनय गलबल सिंह गोड़ निवासी ग्राम चुवाही तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0।

.....उत्तरवादीगण

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्रीमान्  
तहसीलदार साहब तहसील मझौली  
जिला सीधी के प्रकरण  
कमांक-122/अ-12/2012-13 आदेश  
दिनांक-27.08.2013,

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व  
संहिता 1959ई0,

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधि प्रक्रिया के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण आलोच्य आदेश दिनांक-27.08.2013 काबिल निरस्तगी के योग्य है।

M

[Signature]

हरिहर

167

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R- 4256-दो/13 जिला सीधी

हरिहर प्रताप चतुर्वेदी को विरुद्ध शेषमान सिंह जोड़

| (1)      | (2)  |
|----------|--|
| 19.12.18 | <p>1. आवेदक की ओर से श्री जगदीश सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नयब तहसीलदार/ सजस्व निरीक्षक, तहसील मन्नाली के प्रकरण क्रमांक 122/112/12-13 में पारित आदेश दिनांक 27-8-13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14-3-19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> |

हरिहर 246